66

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 398—तीन/2009 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—06—2009 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 110/अपील/2002—03.

.....

1—श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी श्री हरप्रसाद सिंह
निवासी महाजन टोला तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0
2—श्रीमती अनुराधा सिंह पत्नी श्री जवाहर सिंह
निवासी पी0 टी0 एस0 72 क्वाटर के पीछे
पाण्डव नगर नई बस्ती तहसील हुजूर
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—डा0 रमेश कुमार त्रिवेदी तनय
श्री रामसीता प्रपन्न त्रिवेदी
निवासी नीगा तहसील हुजूर
जिला रीवा म0 प्र0
2—रामदास स्वीपर तनय गरीबदास
निवासी महानंदा मकान नं0 688
वार्ड गोरखपुर नागपुर रोड जबलपुर

——— अनावेदकगण

.....

श्री उमेश बहादुर सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शारदा प्रसाद मिश्रा अभिभाषक, अनावेदक—क0—1
अनावेदक कमांक—2 की ओर से कोई उप0 नहीं

.....

आदेश

(आज दिनांक 21—06—18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.06.09 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।.

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नामांतरण पंजी कमांक 13 आदेश दिनांक 04.03.1993 के विरूद्ध अनावेदक कमांक –1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 01/अ–6/1999–2000 पर दर्ज होकर दिनांक 6.11.2000 को अपील अवधि वाह्य मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी हुजूर जिला रीवा द्वारा अपील निरस्त की गई इससे दुखित होकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा आदेश दिनांक 16.06.2009 को अपील स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी हुजूर को प्रकरण गुण दोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक कमांक 1 ने विचारण न्यायालय की नामंतरण पंजी कमांक 13 में पारित आदेश दिनांक 4.3.93 जिसके द्वारा भूमि खसरा कमांक 256/1 में से 20 198 3960 वर्ग फीट क्रेता आवेदकगण के नाम नामांतरण स्वीकार किये गये। आवेदक का तर्क यह है कि निगरानी शुदा आदेश विधि प्रकिया एवं साक्ष्य के मान्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अनावेदक कमांक–1 प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि नामंतरण आदेश की नकल दिनांक 20.01.97 को प्राप्त की गई और अपील दिनांक 17.08.99 को प्रस्तुत हुई। इस विलंब का कारण क्या था इसी वजह से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनावेदक कमांक–1 की अपील को अवधि वाह्य मानते हुये निरस्त किया था जो सर्वथा उचित था, कारण कि धारा–5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र पर प्रत्येक दिन के विलंब का कारण स्पष्ट करना होता है। अनावेदक कमांक–1 ने द्वितीय अपील प्रकरण में विलंब का कारण विधि सलाह न मिलने के कारण विलंब से प्रस्तुत करना कथन किया है किन्तु लगभग 2 वर्ष 6 माह तक किसी को

विधि सलाह न मिल पाने का कारण हास्यास्पद प्रतीत होता है इस तरह यह द्वितीय अपील में जो आदेश पारित किया गया है वह सारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है। इस तरह द्वितीय अपील में जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता यह भी तर्क है कि जहां तक विवादित प्लाट के संबंध में चौहददी और मौके की स्थिति तथा नामांतरण प्रथम दृष्टया बिना हक के किये जाने का संबंध है इस संबंध में आवेदकगण द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि स्वयं अनावेदक कमांक 1 आवेदकगण के विरूद्व व्यवहार वाद विवादित भू–आराजी के संबंध में प्रस्तुत किया था जिसमें स्वत्व के प्रश्न को लेकर आवेदकगण के पक्ष में निष्पादित विवादित भू–आराजियों के विकय पत्र दिनांक 11.2.93 को अवैध एवं शून्य घोषित करने हेतु दावा पेश किया था जिसका सिविल प्रकरण कमांक 2ए/04 आदेश दिनांक 24.12.04 रहा है, जो व्यवहार वाद अस्वीकार किया गया है। अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि अनावेदक कमांक–1 प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष धारा–5 म्याद अधिनियम की छूट अथवा बिलंब माफी पाने का अधिकरी नहीं था किन्तु द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने आदेश देने में त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय का निष्कर्ष विधि अनुकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 16.6.09 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि नामांतरण आदेश की नकल दिनांक 20.1.97 को प्राप्त हो चुकी थी और अपील दिनांक 17.8.99 को दायर की गई है जिस कारण प्रस्तुत अपील अवधि वाह्य मानते हुये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा खारिज की गई, जबकि धारा–5 के आवेदन में एवं शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से यह अभिकथित किया था कि सही विधि सलाह न मिलने के कारण अपील दायर करने में विलंब हुआ है जिसे न्यायिक बिवेक का प्रयोग करते अपर आयुक्त रीवा द्वारा विलंब क्षमा करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और उनका आदेश विधि प्रकिया से उचित है। अनावेदक कमांक–1 अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि बिवादित प्लाट मुताबिक चौहददी व मौके की स्थिति के विपरीत

है इस प्रकार बिवादित नामांतरण प्रथम दृष्टया बिना हक के किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। बिवादित आदेश से जनहित की भूमि प्रभावित है तथा प्लांटो के बीच से 15 फीट चौड़ा सार्वजनिक रास्ता दिया गया था। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक उचित है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। आवेदकगण की निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में संलग्न नामांतरण पंजी कमांक–13 एवं उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के प्रकरण के पृष्ठ 11 पर संलग्न है उसमें पटवारी द्वारा स्पष्ट लेख किया गया है कि **''विकय पत्र में दर्शाया गया भूमि का विवरण गलत है।''** विचारण न्यायालय की नामांतरण पंजी कमांक 13 में पारित आदेश दिनांक 4.3.93 जिसके द्वारा भूमि खसरा कमांक 256/1 में से 20 X 198 = 3960 वर्ग फीट केता आवेदकगण के नाम नामांतरण स्वीकार किये गये हैं, उसकी वैधानिकता पर संदेह उत्पन्न इसलिये होता है कि पटवारी द्वारा नामांतरण करते समय ही टीप अंकित की गई है। खसरा कमांक 184, 186 के संलग्न साइड प्लान में प्लाटों के बीच में से रास्ता दिया जाना भी अपर आयुक्त रीवा द्वारा अपने आदेश में लेख किया गया है। इसका उल्लेख विभिन्न रजिस्ट्रीयों में भी है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु विलंब को क्षमा करने से संबंधित है। अनावेदक कमांक–1 द्वारा विलंब का कारण अधीनस्थ न्यायालय में म्याद अधिनियम धारा–5 में मय शपथ पत्र के दिया गया है जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा समाधानकारक माना है। **परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 विलंब माफ करने में उदार रूख अपनाया जाना चाहिये सामान्यतः विलंब मांफ किया जाना चाहिये। ए0 आई0 आर0 1987 एस0सी0 1353 से** अनुसरित। अपर आयुक्त रीवा द्वारा विलंब क्षमा करने का आदेश में अनुतोष दिया गया है वह स्थिर रखने योग्य है। प्रकरण को गुण दोष पर निर्णय करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी हुजूर

जिला रीवा को प्रत्यावर्तित करने में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः उनका आदेश दिनांक 16.6.09 स्थिर रखने योग्य है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 110/अपील/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2009 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर